22/10/2024
26/10/2024

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश-पत्रक

वादी निव्यानन्द पाण्डेय पिता स्व० सच्चिदानन्द पाण्डेय,

बनाम

प्रतिवादी डेगलाल यादव पिता स्व० मुनु गोप, ग्राम - हरदीवा पो०- कुरुम्बा जिला बोकारो।

जन आवेदन संख्या 16/21-22

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
31/8/2024	आवेदक श्री / श्रीमति निव्यानन्द पाण्डेय, पिता / प्रति का नाम स्व० सच्चिदानन्द पाण्डेय ग्राम हरदीवा पो० कुरुम्बा थाना .... जिला–बोकारो की ओर से आवेदन दिया गया है कि जो मौजा कुरुम्बा थाना सं० 106 के अंतर्गत खाता सं० 255 प्लाट सं० 711 रकबा 5.21 डि० का जाँच के सम्बन्ध में। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। ह० 31-08-24 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा (बोकारो)	
8/10/2024	नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है। द्वितीय पक्ष के डेगलाल दास की ओर से समय हेतु आवेदन दिया गया है। जिसे स्वीकृत किया जाता है। दिनांक 22/10/2024 को रखें। ह० 8/10/24 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा	

22/10/2021 प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से हाजरी दी गई है। स्थान की सफल हेतु आवेदन दिया जाता है।

दिनांक 26/10/2021 को अंतिम अवसर दिया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि अगली तिथि को निश्चित रूप से कागजात प्रस्तुत करें। अन्यथा एकपक्षीय सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभिलेख दिनांक 26-10-2021 को रखें।

22-10-21
अंचल अधिकारी
चनपुप

26/10/2021 उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी ईगलाल यादव की ओर से हाजरी दी गई है। दोनों पक्षों की सुनवाई की गई एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

आदेश हेतु रखें।

26-10-21
अंचल अधिकारी
चनपुप

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश–पत्रक

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित।

प्रस्तुत वाद आवेदक नित्यानन्द पाण्डेय पिता–स्व0 सच्चिदानन्द पाण्डेय ग्राम हरधोवा पो0– कुरूम्बा, जिला–बोकारो के द्वारा शिकायत किया गया है कि मौजा–कुरूम्बा के खाता सं0–255, प्लॉट सं0–711 रकवा–5.21 ए0 भूमि के लगान निर्धारण सं0–01/2005–06 में पारित आदेश के आलोक में लगान रसीद कट रहा है। परन्तु डेगलाल यादव पिता स्व0 मनु गोप वेबुनियाद दावा कर जमीन पर जाने पर जान मारने की धमकी देते है। आवेदन के द्वारा डेगलाल यादव के विरूद्ध कानुनी कारवाई करने का अनुरोध किया है।

उक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच करायी गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि मौजा कुरूम्बा, थाना सं0–106 के अन्तर्गत खाता सं0–255, प्लॉट सं0–711, रकवा–5.21 ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की है। जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के माल निर्धारण केस सं0–01/2005–06 के आदेसानुसार माल निर्धारण किया गया है। इस संबंध में पंजी II के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पृष्ठ सं0–162/9 में खाता सं0–255, प्लॉट सं0–711, रकवा–5.21 ए0 भूमि नित्यानन्द पाण्डेय के नाम जमाबंदी कायम है। लगान वर्ष 2020–21 तक रसीद निर्गत है। उक्त भूमि जाँचोपरान्त पाया गया कि श्री डेगलाल यादव, पिता–स्व0 मनु गोप, सा0–हरधोवा के द्वारा भी उक्त भूमि पर अपना दावा करते है।

तदनुसार दोनो पक्षों को सूचना निर्गत कर कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

प्रथम पक्ष नित्यानन्द पाण्डेय के द्वारा अपने पक्ष में निम्नलिखत कागजातों की छाया प्रति दाखिल किया है :–

1. खतियान की छाया प्रति
2. ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2020–21 की छाया प्रति
3. बिहार गजट अधिनियम 1954 की अधिसूचना की छाया प्रति
4. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय का लगान धार्य वाद सं0–01/2005–06
5. आयुक्त न्यायालय के रेन्ट एसेसमेन्ट का अपील वाद सं0–44/2003 की छाया प्रति
6. अपर समाहर्त्ता, बोकारो के न्यायालय रेन्ट एसेसमेन्ट का अपील वाद सं0–01/2002 की छाया प्रति

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय के लगान धार्य वाद सं0–01/2005–06 में पारित आदेश के अवलोन से ज्ञात होता है कि उक्त वर्णित भूमि जो बकास्त खाते की भूमि है। खाता सं0–255 के प्लॉट सं0–711, रकवा–5.21 ए0 भूमि जो परती टॉड है का लगान 7 रू0 प्रति एकड़ के दर से 37 रू0 निर्धारित किया गया है। इसके अलावे सभी प्रकार के शेष भी देय होंगे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के वाद सं0–68/2006 धारा 144 द0प्र0से0 के तहत् उभय पक्षों के विरूद्ध जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के निरस्त व द्वितीय पक्ष के द्वारा सम्पुष्ट किया गया।

4b

द्वितीय पक्ष डेगलाल यादव के और से एक आवेदन दिया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि खाता सं0–255, प्लॉट सं0–711, रकवा–5.21ए0 के मध्ये 2.81 ए0 का कागजात प्रस्तुत किये है।

1. सादा हुक्मनामा
2. लगान रसीद 847160 वर्ष 1994–95, 090002 वर्ष 1983–84, 700459, 587348

दोनो पक्षों की सुनवाई एवं दाखिल कागजातों एवं राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल अपर समाहर्त्ता, बोकारो के न्यायालय के अपील वाद (रेन्ट फिकसेसस्न) सं0–01/2002 पेरशचन्द्र त्रिगुनाईत –बनाम– नित्यानन्द पाण्डेय में दिनांक– 17.02.2002 में पारित आदेश के नाम पूर्व में लगान धारित के पश्चात् जो जमाबंदी कायम कि गई है। उसका कोई ठोस आधार प्रमाणीत नहीं होता है। अतः विद्धवान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के लगान धार्य वाद सं0–04/2001 में पारित आदेश दिनांक–13.05.2002 को बहाल रखा गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय के लगान धार्य वाद सं0–04/2001 में पारित आदेश के अनुसार विपक्षी के नाम से जो जमाबंदी लगान निर्धारित के उपरान्त कायम की गई है। इसका आधार क्या है। विपक्षी के नाम से न तो उक्त खेवट का सरकार निहित होने की अधिसूचना प्रप्ता है और न ही इनके द्वारा बिक्रे पत्र या निलामी में रसीद की बात कही गई है। किसी व्यक्ति के बकास्त या रैयती जमीन के लगान निर्धारण कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम करना अंचलाधीकारी के क्षेत्राधिकार से बहार है। ऐसी स्थिति में आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम करने एवं पूर्व से विपक्षी के नाम से चल रहे जमाबंदी को बन्द कर दे।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम पक्ष का दावा उचित प्रतीत होता है।

उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

02/11/21

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

02/11/21

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.12.16 12:49:16 +05:30
Location: 192.168.1.33